संख्या-4/2017- 194/चौदह-4-2017-526/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 08 फरवरी: 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा में ''बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास'' योजना के अन्तर्गत रू0 728.40 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-613/36-टी-77, दिनांक 07-12-2016 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 मे निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्य–60- आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के पूंजी लेखा के मानक मद-24 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 134.66 लाख व रू0 10.74 लाख, ईको पर्यटन का विकास योजना के पूंजी लेखा के मानकमद 24, 25 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 24.33 लाख, रू0 19.72 लाख व रू0 45.15 लाख, दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास योजना के पूंजी लेखा के मानक मद-24 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 394.62 लाख व रू0 30.00 लाख तथा वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास योजना के पूंजी लेखा के मानक मद-24 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 59.88 लाख व रू0 9.30 लाख अर्थात कुल रू0 728.40 लाख पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-194ए/14-4-2017, दिनांक 02-02-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 728.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
1	2
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	

http://shasanadesh.up.nic.in

4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्य जीव-	
06- जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन के न्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास-	
24-वृहत निर्माण कार्य	72840000
योग:-	72840000

(रू0 सात करोड अट्ठाइस लाख चालीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मित्व्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन के अनुसार कराये जायेगें तथा समस्त वैधानिक अनुमति सम्बन्धित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

3- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

5- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे है तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराई जायेगी।

8- उपर्युक्त धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-613/36-टी-77, दिनांक 07.12.2016 के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र

http://sirsanadesh.up.nic.in

संख्या-1624/7-4(लायन सफारी), दिनांक 05.12.2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

10-जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जा सकेगी तथा उसका सदपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जा सकेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-23(A)/दस2017, दिनांक 12 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(मो0 जुनीद)

संयुक्त सचिव

संख्या-194(1)/चौदह-4-2017-526/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल हाल नं0-2, आडिट भवन टी0सी0 35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।

7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

8- नियोजन अनुभाग-3

9- अनुभागीय ओदश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in